न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 8/2022 बउनवानी रिषीकेश मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री मदन लाल मीना निवासी बजरिया सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/8 **On line Appeal No-321700837733121**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

"प्रार्थी द्वारा जनवरी,2021 मे गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री छीतर मल कुमावत द्वारा बीपीएल के माध्यम से उठाए गए लाभ की रिकीवरी हेतु एक प्रार्थना पत्र देकर जॉच करवाई गयी थी जिसके अनुसार पाया गया था कि गिर्राज प्रसाद पुत्र चित्रमल कुमावत बीपीएल के पात्र नही है। अतः आपके द्वारा उनका नाम हटाने के लिए कार्यवाही करने के लिए आयुक्त नगर परिषद को एक पत्र लिखा गया था किन्तु 10 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आदिनांक तक गिर्राज प्रसाद का नाम बीपीएल सूची से नही हटाया गया है एवं इनके द्वारा अभी तक बीपीएल राशन का लाभ लिया जा रहा है। के संबंध में निम्नांकित सूचनाऐ चाहिए" :–

1. क्या नगर परिषद द्वारा आपके कार्यालय को संलग्न पत्र जारी होने के तीन दिवस पश्चात पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।
2. यदि नही तो जिम्मेदार कार्मिक का नाम एवं उनके खिलाफ आपके कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2022/564 दिनांक 3.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.11.2021 को ऑन लाईन पोर्टल पर प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध नगर परिषद स0मा0 से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.1.2021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को ऑन लाईन पोर्टल पर ही अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को भी सूचित किया गया था कि भविष्य मे आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से सम्पर्क करे। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय से नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद स0मा0 से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा दिनांक 6.1.3021 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद स0मा0 के कार्यालय को ऑन लाईन पोर्टल पर ही अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को भी सूचित किया गया था तथा उक्त सूचना के लिए आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के कार्यालय से ही सम्पर्क करे। उक्त तथ्यो के अनुसार उपजिला कलेक्टर कार्यालय से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर